

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

सेवा में,

उप सचिव,

- सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना।

विषय :- मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम, लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध, उपशीर्ष-0109-कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, विषय शीर्ष-0109-52-01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय, मांग संख्या-26, विपत्र कोड-26-2230011010109 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय प्रयोजनार्थ हेतु GeM Portal के माध्यम से क्रय किये गये 01 अदद All in One Computer, 01 अदद Multifunction Printer एवं 01 अदद UPS के भुगतान हेतु कुल ₹1,90,549 (एक लाख नब्बे हजार पाँच सौ उनचास रुपये)/-मात्र की निधि का आवंटन।

प्रसंग - विभागीय स्वीकृतिदेश पत्रांक 439 दिनांक 24/12/25
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 96 वि० (2) दिनांक 03.01.2008 तथा वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 2190/वि० (2) दिनांक 17.03.2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम, लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध, उपशीर्ष-0109-कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, विषय शीर्ष-0109-52-01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय, मांग संख्या-26, विपत्र कोड-26-2230011010109 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय प्रयोजनार्थ हेतु GeM Portal के माध्यम से क्रय किये गये 01 अदद All in One Computer, 01 अदद Multifunction Printer एवं 01 अदद UPS के भुगतान हेतु कुल ₹1,90,549 (एक लाख नब्बे हजार पाँच सौ उनचास रुपये)/-मात्र की निधि का आवंटन निर्गत किया जाता है।

2. इस राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 में निहित प्रावधानों के आलोक में की जायेगी।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि इस आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमितता होगी एवं सम्पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगी।
4. आवंटित किये गये राशि में GST सहित सभी करों की राशि शामिल है।
5. इस राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह राशि आवंटित की जा रही है।
6. निकासी की गयी राशि का व्यय प्रतिवेदन इकाईवार कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय, ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना से लेखा सत्यापन किया जा सके।
7. स्कीम की स्वीकृति के संबंध में समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा संचिका संख्या-2/स्कीम-02-02/2025 के पृ० संख्या-39/प० पर स्वीकृति प्राधिकार सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

कृपया उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

ह०/-

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-2/स्कीम-02-02/2025 श्र०सं०-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

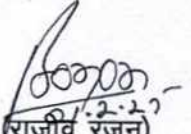
ह०/-

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-2/स्कीम-02-02/2025 श्र०सं०- 09 /पटना, दिनांक 24/12/25

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सरकार पक्ष/ कनीय क्रय प्रभारी, प्रशाखा-02, सरकार पक्ष को उनके गै०स०प्रे०सं०-356 दिनांक-19.12.2024 के आलोक में /आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/लेखा शाखा, सरकार पक्ष (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव